

प्रेषक,  
कमलदीप,  
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,  
कोर्ट सं०-7, मेरठ।

सेवा में,  
माननीय उप निबन्धक(एम)  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश,  
मेरठ।

विषय: माननीय महोदय के पत्रांक सं० 6784 / IV-3824 / Admin(A-4) / Dated:  
Allahabad : 23-05-2019 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय महोदय के उपरोक्त विषयांकित पत्रांक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 व 2017-18 में वेतन से कटौती जैसे सी०पी०एफ०, आयकर, व्यक्तिगत ऋण का पुर्नभुगतान के सम्बंध में विनम्र रूप से अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में मेरे द्वारा सी०पी०एफ० कटौती शून्य थी तथा आयकर भुगतान 62,142/-रूपये अदा किया गया था। इस वर्ष मेरे द्वारा व्यक्तिगत ऋण के सम्बंध में 12 माह में प्रत्येक माह 17,100/-रूपये ई०एम०आई० के रूप में कुल 2,05,200/-रूपये का वार्षिक भुगतान एस०बी०आई० बैंक को किया गया था जिसके सम्बंध में मैं पुनः संशोधित चल सम्पत्ति विवरण पत्र वर्ष 2015-16 अलग से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में मेरे द्वारा सी०पी०एफ० कटौती शून्य थी तथा आयकर भुगतान 58,184/-रूपये अदा किया गया था तथा इस वर्ष मेरे द्वारा व्यक्तिगत ऋण के सम्बंध में 12 माह में प्रत्येक माह 17,100/-रूपये ई०एम०आई० के रूप में कुल 2,05,200/-रूपये का वार्षिक भुगतान एस०बी०आई० बैंक को किया गया था जिसके सम्बंध में मैं पुनः संशोधित चल सम्पत्ति विवरण पत्र वर्ष 2016-17 अलग से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मेरे द्वारा सी०पी०एफ० कटौती शून्य थी तथा आयकर भुगतान 58,250/-रूपये अदा किया गया था तथा इस वर्ष मेरे द्वारा व्यक्तिगत ऋण के सम्बंध में 12 माह में प्रत्येक माह 17,100/-रूपये EMI के रूप में कुल 2,05,200/-रूपये का वार्षिक भुगतान एस०बी०आई० बैंक को किया गया था जिसके सम्बंध में मैं पुनः संशोधित चल सम्पत्ति विवरण पत्र वर्ष 2017-18 अलग से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

माननीय महोदय के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के चल व अचल सम्पत्ति विवरण पत्र साथ में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-2019 के प्रारूप के कालम सं०-07 में व्यक्तिगत ऋण का शेष भुगतान किया जा चुका है, (प्रमाणपत्र संलग्नक-1)। प्रार्थी द्वारा India Bulls से 42,41,486/-रूपये का होम लोन सुपरटेक लिमिटेड कम्पनी के 2 BHK फ्लैट खरीदने हेतु No Pre EMI till possession scheme के

अन्तर्गत लिया था जिसका कब्जा माह जून 2018 में देय था। फ्लैट की EMI भी माह जून 2018 से प्रारम्भ हो चुकी है परन्तु कम्पनी द्वारा कब्जा न देने के कारण कम्पनी द्वारा विलम्ब के Penalty के रूप में प्रार्थी को ब्याज वापस देने का करार किया गया था (संलग्न नं० 3 MOU)। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा माह जून 2018 से मार्च 2019 तक प्रतिमाह 40,490/-रुपये की 9 EMI में मु० 3,64,410/-रुपये का होम लोन दिया गया तथा सुपरटेक कम्पनी द्वारा पेनल्टी के रूप में माह जून 2018 से नवम्बर 2018 तक का ब्याज मु० 2,11,440/-रुपये वापस किया है। फ्लैट के सम्बंध में शेष सूचना बैनामा होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय को भेज दी जायेगी।

उपरोक्त विवरण भेजने में प्रार्थी से भूलवश जो त्रुटि अथवा विलम्ब हुआ है उसके लिए प्रार्थी क्षमा प्रार्थी है।

आपकी महति कृपा होगी।

उपरोक्त वर्णित विवरण माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

सादर!

दिनांक: 07.09.2019

भवदीय,  
कमल दीप  
07.9.19  
(कमलदीप)

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,  
कोर्ट सं०-7, मेरठ।

संलग्नक: एनेकजर 1- व्यक्तिगत ऋण भुगतान विवरण व अदेय प्रमाण पत्र,  
एनेकजर 2- सम्बंधित होम लोन रवीकृति विवरण पत्र,  
एनेकजर 3- MOU संविदा,  
एनेकजर 4- विवरण पत्र होम लोन की ईएमआई. माह जून, 2018 से प्रारम्भ

कार्यालय जिला न्यायाधीश, मेरठ।

पत्रांक 3031/I

दिनांक 9.9.19.

अग्रसारित सेवा में, उपनिबन्धक (एम०) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अग्रसारित।

जिला न्यायाधीश,  
मेरठ।